

थाना सदर बाजार/SOG पुलिस टीम को मिली कामयाबी,

नौकरी लगवाने की बात कहकर धोखाधड़ी/जालसाजी कर रूपये की ठगी करने वाले अंतर्जनपदीय गिरोह का किया खुलासा,

बर्खास्त सिपाही सहित 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, ठगे गये 72000/- रूपये व अवैध असलहा बरामद।

दिनांक 11.2.21 को वादी श्री शिवम शुक्ला पुत्र राजकुमार शुक्ला नि0 मो0 हुसैनपुरा थाना कोतवाली ,शाहजहांपुर द्वारा थाना सदर बाजार पर लिखित सूचना दी गयी की दिनांक 10.02.21 को पुराना जिला अस्पताल के निकट हनुमान मंदिर के पुजारी सत्यप्रकाश शुक्ला से एक वर्दी धारी पुलिसकर्मी ने उनके भतीजे शिवम शुक्ला को जजी कोर्ट में नौकरी देने के लिये बुलाया तथा साथ में समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं 50000/- रूपये लेकर आने को कहा, जिस पर वादी मुकदमा शिवम शुक्ला उपरोक्त से उक्त व्यक्ति ने झासा देकर 50000/- रूपये व समस्त कागजात ले लिये तथा लेकर चले गये। वादी को हुई ठगी की जानकारी के उपरान्त वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 92/21 धारा 420/406 भादवि बनाम अज्ञात पुलिसकर्मी के पंजीकृत किया गया।

श्री एस.आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा ठगी की हई इस घटना को गम्भीरता से लेते हुए श्री संजय कुमार,अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्वेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में पुलिस टीमों का गठन कर घटना में संलिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये।

इसी क्रम में दिनांक 11/12.02.21 की रात्रि को थाना सदर बाजार व SOG पुलिस टीम द्वारा मुखबीर द्वारा मिली सूचना पर लाल इमली चौराह के पास समय करीब रात्रि 00.30 बजे दो संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिनसे दौराने गिरफ्तारी एक अदद देशी तमन्चा 315 बोर मय 2 कार0 व एक अदद देशी तमन्चा 12 बोर मय 2 कार0 व मुकदमा उपरोक्त में ठगी किये 72000/- नगद बरामद किये गये।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त गण से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त अब्दुल वहीद उर्फ कल्लू ने पूछने पर बताया कि मैं पुलिस की वर्दी पहन कर अपना फर्जी पुलिस आई कार्ड दिखाकर लोगो के साथ ठगी करता हूँ, मैं अब से लगभग 15 वर्ष पूर्व जनपद कानपुर से पुलिस आरक्षी के पद से बर्खास्त हो गया था। दिनांक 10.2.21को मेरे द्वारा ही शिवम शुक्ला को फोन कर नौकरी लगवाने का झासा देकर 50000/- रूपये लिये गये थे एवं करीब 8 दिन पूर्व नोएडा में नौकरी लगवाने के नाम पर 31,000/- रूपये व 4 दिन पूर्व जिला सहारनपुर के रामपुरमनिहारन थानाक्षेत्र में नौकरी के नाम पर 50000/- रूपये की ठगी की है, इन ठगे हुये रूपये में से 50000/- रूपये में जुआ में हार गया तथा कुछ खर्च हो गये जो बचे वह आपने बरामद कर लिये। मुकदमा का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त गण के विरुद्ध मुकदमा में धारा 171/406/420/467/468/471 भादवि की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त अब्दुल वहीद उर्फ कल्लू के विरुद्ध मु0अ0सं0 96/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 व अभियुक्त गुलाम हुसैन के विरुद्ध मु0अ0सं0 97/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया। पूछताछ के दौरान प्रकाश में आये तथ्यो के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-अब्दुल बहीद पुत्र कल्लू नि0 गुरसियारी थाना मौदहा जनपद हमीरपुर (बर्खास्त पुलिस कर्मी)

2-गुलाम हुसैन पुत्र गुलाम फरीद नि0 गुरसियारी थाना मौदहा जनपद हमीरपुर

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त अब्दुल बहीद उर्फ कल्लू से

- 1- 50000/- रूपये ठगी के संबंधित मु0अ0सं0 92/21 धारा 406/420 भादवि
- 2- पुलिस कर्मी हे0का0 की वर्दी
- 3- एक आई कार्ड उ0प्र0 पुलिस
- 4- एक अदद तमन्चा देशी 315 बोर मय 2 कार0
- 5- दो मोबाइल घटना में प्रयुक्त किये जाने वाले

अभियुक्त गुलाम हुसैन से-

- 1- 22000/- रूपये अभियुक्त गुलाम से
- 2- एक अदद तमन्चा देशी 12 बोर मय 2 कार0 अभियुक्त गुलाम से
- 3- एक मोबाइल अभियुक्त गुलाम से

पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 नरगेश कुमार थाना सदर बाजार
- 2-उ0नि0 विपिन शुक्ला थाना सदर बाजार
- 3-हे0का0 369 सुशील कुमार शर्मा थाना सदर बाजार
- 4-का0 1910 अभिषेक गिरी थाना सदर बाजार
- 5-का0 1976 रोहित कुमार थाना सदर बाजार

- 1-उ0नि0 रोहित कुमार प्र0 SOG
- 2-हे0का0 329 राजाराम पाल SOG
- 3-का0 1475 अजय कुमार SOG
- 4-का01855 कुशलपाल सिंह SOG
- 5-का0 264 ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह SOG
- 6-कां0 संजीव व कां0 अजय सर्विलांस सेल